भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 424वीं आरजीपी बैठक का कार्यवृत्त

स्थान - तक्षशिला सम्मेलन कक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

दिनांक एवं समय - 02 फरवरी, 2024 पूर्वाह्न 11:00 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण - ***अध्यक्ष***
2. श्री टीएन तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
3. श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, (वस्तुतः उपस्थित हुए)
4. प्रो. के. कैलासा राव, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, (*वस्तुतः उपस्थित हुए*)
5. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
6. कर्नल सव्यसाची मारवाहा, निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

कार्यसूची 01

423वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची 02

मामला संख्या: 01

(श्री सलीम अब्दुलगफूर कनुगा, 12/1655, शाहपुर, सूरत, गुजरात-395003)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदन पर आगे विचार करने के लिए एएसआई और सक्षम प्राधिकरी, गुजरात के स्थानीय अधिकारियों के साथ प्रस्तावित निर्माण स्थल का **दौरा करने** का निर्णय लिया।

भास्कर वर्मा

मामला संख्या: 02

(श्री शेख मोहम्मदआमीर शेखहुसेन, पुत्र शेख हुसैन, 2803, लाल बावा नो टिम्बो, एनआर चारवत, दरियापुर, अहमदाबाद शहर, गुजरात-380001)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने फॉर्म-II और उनकी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट जो स्व-घोषणा और भवन योजना से मेल नहीं खाती, में उल्लिखित सही प्रस्तावित स्थल के पते को स्पष्ट करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, गुजरात को कहते हुए मामले को **वापस भेजने का निर्णय** लिया।

मामला संख्या: 03

(मृदुलाबेन विनोदभाई रूपरेलिया, अल्पेश विनोदचन्द्र रूपारेलिया, भावेश विनोदचन्द्र रूपारेलिया और निशा विनोदचन्द्र रूपारेलिया, 630, गोलवड, दानापीठ, अहमदाबाद, गुजरात)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सीएस नंबर 1285+1286, जमालपुर-2, शीट नंबर 65, जमालपुर, अहमदाबाद, गुजरात में कुल **18.00** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+4+छत तल के साथ जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 4एफ = 45.15 वर्गमीटर, छत तल = 25.00 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को प्रस्तावित स्थल पर निर्माण शुरू करने से पहले नगर पालिका/स्थानीय प्राधिकरण से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करना होगा, जिसके न लिए जाने पर प्राधिकरण की सिफारिश वापिस ले ली गई हुई मानी जाएगी। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 04

(मोहेमाद्युनुष अब्दुलरशीद शेख, अब्दुलमुनाफ अब्दुलराशिद शेख और मोहम्मदसलमान मोहम्मदसिद्दीक शेख, 2483, लाल स्कूल के पास, रंगीला पुलिस चौकी, शाहपुर, अहमदाबाद, गुजरात-380001)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सीएस नंबर 6175 से 6177, शाहपुर-3, शीट नंबर 50, शाहपुर, अहमदाबाद, गुजरात में कुल **15.05** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ एचपी + जीएफ + 2 मंजिल + सीढ़ी केबिन के साथ एचपी = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 66.41 वर्गमीटर, एससी = 10.83 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को प्रस्तावित स्थल पर

निर्माण शुरू करने से पहले नगर पालिका/स्थानीय प्राधिकरण से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करना होगा, जिसके न लिए जाने पर प्राधिकरण की सिफारिश वापस ले ली गई हुई मानी जाएगी। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 05</u>

(श्री विपुल विनोदराय शाह, ए-2, श्रावक नगर सोसायटी, बी/एच विसनगर कंपनी ऑप. बैंक, गुजरात विद्यापीठ के पास, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात-380014)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सी.एस. नंबर 283, शीट नंबर 18, सब प्लॉट/बंगला नंबर 03, एफ.पी. नंबर 20, टी.पी.एस. नंबर 3/2, (एलिसब्रिज) (उस्मानपुरा सेक्शन) (विविध अंतिम), उस्मानपुरा, अहमदाबाद, गुजरात में कुल **12.88** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1एफ+छत तल के साथ जीएफ = 208.54 वर्गमीटर, 1एफ = 189.12 वर्गमीटर और छत तल = 23.02 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को प्रस्तावित स्थल पर निर्माण शुरू करने से पहले नगर पालिका/स्थानीय प्राधिकरण से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करना होगा, जिसके न लिए जाने पर प्राधिकरण की सिफारिश वापस ले ली गई हुई मानी जाएगी। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 06</u>

(मोहम्मद इलियासभाई अदुलकरिमभाई मेमन, सोहेब मोहम्मद इलियास मेमन, नरगिस मोहम्मद इलियास मेमन, नाज़ियाबानू मोहम्मद इलियासभाई मेमन और स्वालेहा मोहम्मद, 2769, राज नगर मार्केट के पास, साबूवाला का गली, खमासा, अहमदाबाद गुजरात-380001)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 30.10.2019 को आयोजित अपनी 250वीं बैठक में प्राधिकरण द्वारा पहले अनुशंसित 17.95 मीटर (सभी सहित) की मौजूदा इमारत में 5वीं और 6वीं जोड़ने के वर्तमान मामले को **खारिज करने** का निर्णय लिया चूंकि निर्माण का प्रस्तावित स्थल अहमदाबाद के चारदीवारी वाले शहर के भीतर आता है और प्राधिकरण ने 20.03.2018 को आयोजित अपनी 171वीं बैठक में चारदीवारी वाले शहर में निर्माण की जाने वाली इमारतों की अधिकतम ऊंचाई 18.00 मीटर (सभी सहित) तक सीमित करने का निर्णय लिया था। अहमदाबाद के इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया है और साथ ही संकीर्ण सड़कों, भीड़भाड़, स्मारकों की ऊंचाई, यातायात की आवाजाही और चारदीवारी के भीतर इमारतों की सामान्य ऊंचाई को भी ध्यान में रखा गया है।

मामला संख्या: 07

(श्री सोमशेखरैया पुत्र होना शीटी, गुनिकेरे स्ट्रीट बेलूर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने के.एच. नंबर 4613/ए/3441, गुनिकेरे स्ट्रीट, बेलूर तालुक, हसन जिला, कर्नाटक में कुल **04.36** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ = 67.51 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 08

(श्री संजीव पुत्र हनमंतराव कुलकर्णी, मकान नंबर 192, "गोकुल", सर देशपांडे कॉलोनी, समाट होटल के पीछे, स्टेशन रोड, विजयपुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 746F, प्लॉट नंबर 1, वेंकटेश्वर मंदिर के पास, निंबार्गी बदावने, अथानी रोड, महलबगायत, विजयपुर, कर्नाटक में कुल **08.05** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=126.32 वर्गमीटर, 1एफ=136.31 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 09

(श्री साजिद पुत्र खाजमीन जमादार, मोहम्मदिया मस्जिद के पास, हरियाल गली, डब्ल्यू नं.19, जेएम रोड, विजयपुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 07.50 मीटर (सभी को मिलाकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया। आवेदक सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन फिर से जमा कर सकता है।

मामला संख्या: 10

(श्री मकबुल एस बागवान, पुत्र शब्बीर अहमद, एमएम बागवान हाउस, ग्रीन पार्क, नवाबाग विजयपुर, कर्नाटक-586101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 399/के, प्लॉट नंबर 04, महलबगायत, विजयपुर, कर्नाटक में कुल **09.19** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पैंट हाउस संरचना सहित) के साथ पार्किंग + जीएफ + 1 मंजिल के साथ पार्किंग = 79.92 वर्गमीटर, जीएफ =1एफ = 220.13 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 11

(श्री जावेद एस बागवान, पुत्र शब्बीर अहमद, एमएम बागवान हाउस, ग्रीन पार्क, नवाबाग विजयपुर, कर्नाटक-586101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 399/के, प्लॉट नंबर 03, महलबगायत, विजयपुर, कर्नाटक में कुल **09.19** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पैंट हाउस संरचना सहित) के साथ पार्किंग + जीएफ + 1 मंजिल के साथ पार्किंग = 69.00 वर्गमीटर, जीएफ =1एफ = 198.81 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 12

(श्रीमती गंगाबाई बी कलासगोंड, स्टेशन रोड, रंभापुर कॉलोनी, विजयपुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सी.टी.एस. नंबर 1293/70, विजयपुर, बीजापुर, कर्नाटक में कुल **04.50** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पैंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ = 72.79 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने

का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 13</u>

(श्रीमती लक्ष्मी पत्नी संगमेश चौधरी, वार्ड नंबर 10#158/बी शबदी कंपाउंड, गर्ल्स हाई स्कूल के पास, बागलकोट, कर्नाटक - 587101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 153/डी, प्लॉट नंबर 102, महलबगायत, विजयपुरा, बीजापुर, कर्नाटक में कुल **08.50** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ =1एफ = 70.00 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 14</u>

(अश्विन शशिकांत बिलागी, मकान नंबर 138, कुंबर ओनी, तेलसांग-591265, जिला: बेलगावी, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणी के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) आवेदक को प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 10.60 मीटर तक सीमित रखनी चाहिए। (सब मिलाकर) जिस सीपीएम के विनियमित क्षेत्र में निर्माण का प्रस्तावित स्थल स्थित है, के उप-क्षेत्र के संरक्षण, संरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इमारत का निर्माण बेसमेंट के बिना किया जाना चाहिए।

ख) आवेदक सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन फिर से जमा कर सकता है।

<u>मामला संख्या: 15</u>

(श्रीमती कौसरबानू पत्नी शुक्रुद्दीन मुल्ला, रेलवे क्वार्टर के पास ताजुद्दीन कॉलोनी बीजापुर-586104, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 153/डी, प्लॉट नंबर 17, महलबगायत, विजयपुरा, कर्नाटक में कुल **09.85** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के

साथ जीएफ + 2 मंजिल + छत तल के साथ जीएफ=1एफ=2एफ= 69.45 वर्गमीटर, छत तल = 69.45 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 16

(श्री प्रसन्ना बी.एम., श्री भगवान बी.एम., और श्री महेशा बी.एम., पुत्र मंजेगौड़ा चिकनहल्ली, बेलूर हसन (डी), कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने केएच नंबर 3987/2868, संपत्ति नंबर 19-5-115, मुदिगेरे - हलेबीडु मेन रोड, बेलूर तालुक, जिला - हसन, कर्नाटक में कुल **04.70** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ = 50.85 वर्गमीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 17

(श्री गुरुराज कुलकर्णी, 15वां वार्ड, शनाभागरा कंपाउंड, चिंतामणि के पास माथा, अमरावती होसपेटे, कर्नाटक-583201)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने इस मामले को इस टिप्पणी के साथ वापस भेजने का निर्णय लिया कि स्व-घोषणा में प्रस्तावित निर्माण स्थल के पते का उल्लेख नहीं किया गया था। आवेदक आवश्यक अनुपालन के बाद सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से प्रस्ताव फिर से जमा कर सकता है।

मामला संख्या: 18

(अध्यक्ष कर्नाटक शिक्षा बोर्ड धारवाड़, स्टेशन रोड मालमड्डी धारवाड़, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने इस मामले को इस टिप्पणी के साथ **वापस** भेजने का निर्णय लिया कि भवन योजना पर लाइसेंस प्राप्त वास्तुकार द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए और मुहर नहीं लगाई गई थी और भवन योजना में तल क्षेत्र का भी उल्लेख नहीं किया गया था। यदि आवेदक को ऑनलाइन मोड में आवेदन जमा करने में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो वह सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से ऑफ़लाइन मोड में आवेदन कर सकता है।

मामला संख्या: 19

(श्री मनोज कुमार दाश, प्लॉट नं. 248/1139, उप-प्लॉट नं. 141, बिजया विहार नुआगांव, भुवनेश्वर, जिला-खुरदा-751002, ओडिशा)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 248/1139, उप-प्लॉट नंबर 141, खाता नंबर 353/416, मौजा - नुआगांव, भुवनेश्वर, जिला - खुर्दा, ओडिशा में कुल **08.83** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ (मौजूदा) +1 मंजिल (प्रस्तावित) के साथ आवासीय भवन के मौजूदा भूतल के साथ जीएफ=177.84 वर्गमीटर (मौजूदा), 1एफ =114.34 वर्गमीटर (प्रस्तावित) के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 20

(रोज़लिन चौधरी, प्लॉट नंबर 495/डी, एएसएमए भवन, महावीर लेन गैराज छाक, पीएस - श्री लिंगराज, भुवनेश्वर जिला - खुर्दा - 751002, ओडिशा)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 585/2727, खाता नंबर 604/941 मौजा - भुवनेश्वर सहारा, यूनिट-36 राजरानी, भुवनेश्वर, जिला - खुर्दा, ओडिशा में कुल **6.30** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ=143.84 वर्गमीटर, 1एफ =143.84 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 21

(मनोज कुमार कुंडू, सी-3/7, इंदिरा हाउसिंग कॉलोनी, नुआगांव, लिंगीपुर, भुवनेश्वर, जिला-खुरदा, 751002, ओडिशा)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 148/3969 और 196/3970, खाता नंबर 759/767 और 759/766, मौजा - लिंगीपुर, भुवनेश्वर, जिला - खुर्दा - 751002 में कुल **11.04** मीटर की ऊंचाई

(ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ स्टिल्ट फ्लोर + 2 मंजिलों के साथ स्टिल्ट फ़्लोर = 1एफ = 2एफ = 79.71 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 22

(संध्या रानी रे, प्लॉट नं.823/ई, केदारगौरी छाक पीएस-श्री लिंगराज, पोस्ट-भुडनेश्वर, जिला - खुर्दा - 751002, ओडिशा)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को अपने स्तर पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा को वापस भेजने का निर्णय लिया क्योंकि यह प्राचीन संस्मारक और पुरातत्व अवशेष (विरासत उपनियमों का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6 VII के साथ पठित नियम 8 (2) के अनुसार उनकी सक्षमता के अंतर्गत आता है क्योंकि यह मामला मरम्मत/नवीनीकरण से संबंधित है।

मामला संख्या: 23

(श्री देवेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री लोकेन्द्र सिंह बघेल, रामबंद के पास गोलंदास मोहल्ला, कोटेश्वर कॉलोनी, दर्शन पाठक के पीछे, जिला-ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474003)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मकान नंबर 248 वार्ड और जोन 02/10, गोलानदास मोहल्ला, जिला - ग्वालियर, मध्य प्रदेश - 474003 में कुल **12.00** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 1एफ = 2एफ = 77.04 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 24

(श्रीमती मधु बाई डिक्सेना पत्नी श्री राधेश्याम डिक्सेना, ग्राम- मुंगाडीह, पाली, तहसील- पाली, जिला- कोरबा, छत्तीसगढ़)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) फॉर्म I/फॉर्म II और बिल्डिंग योजना में ऊंचाई का उल्लेख मीटर में किया जाना चाहिए।

ख) फॉर्म I/फॉर्म II और बिल्डिंग प्लान में ऊंचाई भी बेमेल है।

ग) फॉर्म I/फॉर्म II और स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में तल क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है।

घ) स्व-घोषणा में प्रस्तावित स्थल का पता उल्लिखित नहीं है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करते हुए आवेदक सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश के माध्यम से प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत कर सकता है।

मामला संख्या: 25

(श्री बसवराज पुत्र गुरप्पागौड़ा बिरादर, शिवपुर बीके, केंगनाल पोस्ट, बेनकानाहल्ली जीपी, इंडी तालुक, जिला- विजयपुर, कर्नाटक - 586112)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को प्रस्तावित भवन की ऊंचाई अधिकतम 07.50 मीटर (सब मिलकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया। आवेदक सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन फिर से जमा कर सकता है।

मामला संख्या: 26

(जगदगुरु श्री श्री अभिनव शंकर भारती महास्वामी, श्रीमद् जगदुरू शंकराचार्य कुडाली, श्रृंगेरी महासंस्थान दक्षिणाम्नाय शारदा पीठ, कुदाली शिवमोगा तालुक और जिला - 577227, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने साइट नंबर 19, श्रीमज्जगद्गुरु कुदाली श्रृंगेरी, श्री शंकराचार्य महासंस्थान, कुडली शिवमोग्गा, कर्नाटक में कुल 03.60 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ = 91.85 वर्गमीटर तलक्षेत्र की यज्ञशाला और कार शैड (अस्थायी छत का फैब्रीकेशन) के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 27

(श्रीमती नेत्रावती पत्नी सुरेश, बजंथरी रोड, नागमंगला टाउन, जिला- मांड्या, कर्नाटक - 571432)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने संख्या 1730/1581 (पीआईडी संख्या 15-114-2), वार्ड संख्या 08 नागमंगला टाउन नगर परिषद, नागमंगला टाउन, जिला-मांड्या, कर्नाटक में कुल **7.50** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 33.55 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या : 28

(जगद्गुरु श्री अभिनव शंकर भारती महास्वामी, श्रीमद् जगदुरू शंकराचार्य कुडाली, श्रृंगेरी महासंस्थान दक्षिणाम्नाय शारदा पीठ, कुदाली शिवमोग्गा तालुक और जिला-577227, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 07.50 मीटर (सब मिलाकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया। आवेदक सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन फिर से जमा कर सकता है।

मामला संख्या: 29

(श्रीमती अर्चना यू वासुदारे, पीएचसी रोड, हर्राकाली, पंचवटी, शिराली, भटकल, जिला - उत्तर कन्नड़, कर्नाटक - 581354)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 430/1, सुसगाडी, भटकल, जिला उत्तर कन्नड़, कर्नाटक में कुल **12.02** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ बेसमेंट + जीएफ + 1 मंजिल के साथ बेसमेंट=881.84 वर्गमीटर, जीएफ=1एफ=889.54 वर्गमीटर तलक्षेत्र के स्कूल (संस्थागत) भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 30

(श्री के. रवि कुमार पुत्र कस्तूरी रंगाशेट्टी, पिता शिवशंकर, नंबर 63, 5वां क्रॉस, आरपी रोड, नंजनगुड, जिला - मैसूर, कर्नाटक - 571301)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एएसएसटी नंबर 1437/1391, गौरीघट्टा रोड, नंजनगुड, कर्नाटक में कुल **9.00** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 1एफ = 2एफ = 111.48 वर्गमीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक एवं आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 31

(श्री मल्लप्पा टिपण्णा मुदुर, प्यति ओनी, नारेगल, हंगल तालुक, जिला - हावेरी, कर्नाटक - 581148)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने वी.पी.सी. नंबर 276/बी, प्याति ओनी, नारेगल, हंगल तालुक, जिला-हावेरी, कर्नाटक में कुल **5.30** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ = 47.66 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या : 32

(आयुक्त विजयपुर शहरी विकास प्राधिकरण एवं लीज धारक आईक्यूआरए एजुकेशन सोसायटी विजयपुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एसवाई नंबर-304/1+2बी, प्लॉट नंबर-47, महलबगायत, विजयपुर, कर्नाटक में कुल **7.40** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=720.39 वर्गमीटर तलक्षेत्र के स्कूल के भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या : 33

(श्री देवाचारी आर, मार्फत आरबी बडिगर, प्रथम क्रॉस, शिवलिंग नगर, श्री बनशकारी मंदिर के बगल में जिला - हावेरी, कर्नाटक - 581110।)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को इस टिप्पणी के साथ **वापस भेजने** का निर्णय लिया कि स्व-घोषणा और भवन योजना में प्रस्तावित निर्माण स्थल का पूरा पता नहीं बताया गया है। आवेदक इस टिप्पणी का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से प्रस्ताव फिर से जमा कर सकता है।

मामला संख्या: 34

(श्रीमती रेणुका संगमेश अगाडी, दयमव्वागुडी ओनी, नारेगल पोस्ट, हंगल तालुक, जिला - हावेरी, कर्नाटक - 581148)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एसवाई नंबर 158/डी, दयमाव्वागुडी ओनी, नारेगल, हंगल तालुक, जिला - हावेरी, कर्नाटक में कुल **5.30** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ=43.20 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 35

(श्री योगेश पुत्र चंद्रप्पा, अमृतपुरा गांव और पोस्ट, तारिकेरे तालुक, जिला - चिक्कमगलूर, कर्नाटक - 577228)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) स्व-घोषणा में प्रस्तावित निर्माण स्थल का पता नहीं बताया गया।

ख) फॉर्म-I/फॉर्म-II और बिल्डिंग योजना में आवेदक का नाम मेल नहीं खाता है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है।

मामला संख्या: 36

(श्री बसवराज शिवप्पा अगाड़ी, दयमव्वगुडी ओनी नारेगल पोस्ट, हंगल तालुक, जिला-हावेरी, कर्नाटक - 581148)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एसवाई नंबर 158/बी, नारेगल, हंगल तालुक, जिला हावेरी, कर्नाट में कुल **5.30** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पैंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ=69.49 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 37

(श्रीमती पद्मा पत्नी स्वर्गीय बिलिगिरि नायका, मार्फत भाग्य पुत्री स्व. रंगस्वयनायक, नायका स्ट्रीट, थेराकनंबी, गुंडलुपेट तालुक, जिला - चामराजनगर, कर्नाटक - 571123)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एएसएसटी नंबर नंबर-90/90/76/2, पीआईडी नंबर-4-104-35/सी, तीसरा डिवीजन, 11वां वार्ड, गुंडलुपेट, कर्नाटक में कुल **7.00** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पैंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=35.00 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 38

(श्री आसिफ अहमद एम अथानी, सकाफ रोजा, अथानी गली, केकेजीएस रोड विजयपुरा, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने क्रमांक-420/2, प्लॉट क्रमांक-252 कीर्ति नगर बीडीए लेआउट महल बागायथ, विजयपुर तालुक और जिला, कर्नाटक में कुल **8.30** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पैंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=71.25 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 39

(श्री शंकरप्पा शिवलीगप्पा कराडी, होंडाडाकेरी ओनी, नारेगल हंगल तालुक, जिला-हावेरी, कर्नाटक-581148)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने नंबर 5/4, होंडाडाकेरी ओनी, नारेगल, हंगल तालुक, जिला-हावेरी, कर्नाटक में कुल **5.30** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पैंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ=47.66 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 40

(श्री महेश गुलप्पा ह्यूगर, सी/ओ दयानंद एम पुजारी, अंकलकर लेआउट, सिंदगी नाका, अल्लापुर क्षेत्र, विजयपुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सीटीएस नंबर-1292बी/30, वार्ड नंबर 6 अंकलीकर लेआउट जागृति कॉलोनी, विजयपुर बीजापुर, कर्नाटक में कुल **7.45** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पैंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=102.12 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या : 41

(श्रीमती कौसरबानू पत्नी मोहम्मद जाफ़र बसानाकोप्पा, गुडिकर ओनी, हंगल तालुक, जिला - हावेरी, कर्नाटक - 581104)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने नंबर 175/ए, गुडिकेरी ओनी, हंगल तालुक, जिला-हावेरी, कर्नाटक में कुल 04.675 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पैंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ=45.53 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 42

(श्री मल्लप्पा बनप्पा मेट्री, सी/ओ बनप्पा मेट्री, पोस्ट टिकोटा, जिला-विजयपुर, कर्नाटक-586130)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणी के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) आवेदक को प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 10.60 मीटर तक सीमित रखनी चाहिए। (सब मिलाकर)

ख) जिस सीपीएम के विनियमित क्षेत्र में निर्माण का प्रस्तावित स्थल स्थित है, उप-क्षेत्र के संरक्षण, सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए भवन का निर्माण बेसमेंट के बिना किया जाना चाहिए।

ग) आवेदक सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन फिर से जमा कर सकता है।

अनुपालन

मामला संख्या: 43

(श्रीमती एम. प्रेमा, पत्नी लेफ्टिनेंट शिवकुमार, #917, कुम्बर्गेरी स्ट्रीट, श्रीरंगपटना, जिला-मांड्या, कर्नाटक - 571438)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने नंबर एस-5328/5271/564/1/528/1/ए/बी, कुम्बर्गेरी स्ट्रीट, श्रीरंगपटना, कर्नाटक में कुल 09.90 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ जीएफ=1एफ=2एफ=19.87 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 44

(श्री एम.ए.नि.प्रा. सदाशिव स्वामीगलुगुरु शिवलिंग स्वामीगलु, हुक्केरीमठ, जिला-हावेरी, कर्नाटक - 581110)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना निर्माण करने के लिए एसए, एएसआई धारवाड़ सर्कल द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का आवेदक द्वारा अनुपालन किया गया है।

अतिरिक्त कार्यसूची

मामला संख्या: 45

(श्री मनोज कुमार जैन और श्री निखिल जैन, प्लॉट नंबर 4249, 4250, 4251 और 4248/2 (भाग) प्रा. नंबर 2/9, वार्ड नंबर XI, अंसारी रोड, दरिया गंज, दिल्ली में स्थित)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 4249, 4250, 4251 और 4248/2 (भाग) प्राइवेट नंबर 2/9 वार्ड नंबर XI में स्थित, अंसारी रोड, दरिया गंज, दिल्ली-110002 में कुल 17.97 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पैंट हाउस संरचना सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = 65.44 वर्गमीटर, 1एफ = 2एफ = 3एफ = 39.77 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई = 3.08 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 46

(श्री अनुज मलिक, श्रीमती श्वेता मलिक और श्री नीरज वाधवा, एफ-22, नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एफ-22, नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट- I, नई दिल्ली में कुल 17.99 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पैंट हाउस संरचना सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 125.22 वर्गमीटर, बेसमेंट = 125.10 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई = 2.90 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 47

(मो. अनवर और मो. जीशान, 130, पुराना नंबर-71, वार्ड नंबर-सातवीं, गली बंदूक वाली, अजमेरी गेट, दिल्ली-110006)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 130, पुराना नंबर-71, वार्ड नंबर-VII, गली बंदूक वाली, अजमेरी गेट, दिल्ली-110006 में कुल 17.69 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 92.441 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।